स्थापित-1971

J. D. WOMEN'S COLLEGE

(Constituent Unit of Magadh University, Bodh Gaya)

NAAC ACCREDITED GRADE 'B' (2014)

Jawahar Lal Nehru Marg, (Bailey Road) Patna - 800 023 (Bihar)
Website : www.jdwcpatna.com | Email : jdwcpr.office@gmail.com | Ph/Fax : 0612-2280666 (O)

PROSPECTUS

पोशाक संबंधी सामान्य जानकारी

इंटर तथा स्नातक खण्ड- I, II, III

ग्रीष्म ऋतु :– सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, कत्थई (मैरून) कुर्त्ता ।

शीत ऋतु :– कत्थई (मैरून) स्वेटर/ब्लेजर ।

* शनिवार को रंगीन पोशाक पहनने की अनुमति है ।

स्नातकोत्तर :

सफेद सलवार, सफेद कुर्त्ता, कत्थई लहेरिया चुनरी का दुपट्टा ।

महाविद्यालय के सामान्य नियम

1. महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से 31 मई तक रहता है ।
2. महाविद्यालय का कार्यालय सामान्य कार्यों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस को 9.00 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है । वित्त संबंधी कार्य 11 बजे से 1 बजे तक होता है ।
3. अपने किसी भी कार्य हेतु प्रधानाचार्या से मिलने के पूर्व छात्राएँ सम्बद्ध अधिकारियों से अवश्य मिलें ।
4. छात्राओं के लिए सभी सूचनाएँ **सूचनापट** पर प्रकाशित की जाती हैं । छात्राओं को सूचनापट प्रतिदिन देखना अपेक्षित है । सूचनानुसार कोई काम नहीं होने पर सूचना नहीं देखने की अज्ञानता अक्षम्य होगी ।
5. वर्ग नहीं रहने पर व्याख्यान कक्ष के सामने छात्राएँ शोर नहीं करें । छात्राओं से आशा की जाती है कि व्याख्यान एवं शैक्षणिक वर्गों में **समय की पाबन्दी** और **एकाग्रचितता** का ध्यान रखेंगी ।

6. बिना कारण बताए लगातार तीन महीने अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का नाम काट दिया जाएगा। तब नियमानुसार उसे पुनः प्रवेश लेना होगा। पुनः प्रवेश के लिए प्रधानाचार्या को आवेदन देना होगा और नामांकन के लिए पुनः प्रवेश शुल्क तथा पंजीयन शुल्क लगेगा।
7. अध्यापन कार्य जब चल रहा हो, उस अवधि में अभिभावक आपातकालीन/ विशेष परिस्थितियों में ही छात्रा से मिल सकेंगे।
8. महाविद्यालय प्रांगण के बाहर छात्रा के साथ हुई किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी महाविद्यालय पर नहीं होगी।
9. परिसर में पे-फोन की सुविधा उपलब्ध है। परिसर में मोबाइल का प्रयोग **दंडनीय** है।
10. छात्राओं को महाविद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्धारित आचार संहिता की मर्यादा की रक्षा करनी होगी।
11. अनुशासन समिति के सदस्यों के अतिरिक्त शिक्षक समुदाय के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि वे महाविद्यालय के भीतर या बाहर भी छात्रा को अनुचित व्यवहार करते देखें तो उसे रोकें। छात्राओं को उनके आदेश का पालन हर समय करना चाहिए।
12. महाविद्यालय की परीक्षाओं में छात्राओं को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय की सदस्यता सभी छात्राओं के लिए अनिवार्य है।
2. निर्धारित प्रपत्र पर ही पुस्तकों की माँग की जानी चाहिए।
3. एक पखवारे के अंदर ही सामान्य पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें वापस कर देनी चाहिए।
4. छात्राओं से यह आशा की जाती है कि वे पुस्तकों को सुरक्षित रखेंगी। पुस्तकों की यदि किसी प्रकार की क्षति हुई तो उनकी पूरी कीमत चुकाने की जिम्मेवारी उन पर होगी।
5. निर्धारित तिथि पर पुस्तकें नहीं लौटाने वाली छात्राओं को दण्ड दिया जाएगा। ऐसी छात्राओं को तब तक कोई अन्य पुस्तक नहीं दी जाएगी, जबतक कि वे पहले से ली गई पुस्तक लौटा नहीं देंगी।
6. छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि कॉलेज पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को किसी अन्य महाविद्यालय की छात्राओं या बाहरी व्यक्ति को नहीं दें।
7. पुस्तकालय-भवन में सदैव शांति बनाए रखें।
8. किसी भी समाचार-पत्र या पत्रिका को अध्ययन कक्ष से बाहर नहीं ले जाएँ।

महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को दी जाने वाली सुविधायें

1. **छात्रावास की सुविधा :-** महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा छात्राओं की पात्रता एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी।
2. **छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य :-** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

   पिछड़ी जाति, गरीब तथा मेधावी छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान मिलते हैं।
3. **पुस्तकालय :-** महाविद्यालय के पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग छात्रायें कर सकती है।
4. **चिकित्सा सुविधा :-** इस सुविधा के अंतर्गत एक स्वास्थ्य परिषद् है जो छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला का आयोजन करती है।

5. **बैकिंग सुविधा :-** कॉलेज में छात्राओं के लिए एक SBI - ATM बैंक की एक शाखा खोला गया है, जिसका लाभ छात्रायें उठा सकती हैं ।
6. **PCO की सुविधा :-** छात्रायें फोन करने के लिए बाहर न जायें तथा कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें इसके लिए **PCO** की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।
7. **इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सुविधा :-** इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सुविधा के लिए **'वसुधा'** की सुविधा उपलब्ध है ।
8. **लेखन सामग्री (Stationary Shop) :-** छात्राओं के उपयोग के लिए एक लेखन सामग्री **(Stationary Shop)** की दुकान खोली गई है ।
9. **कैंटीन की सुविधा :-** कैंटीन की सुविधा के अंतर्गत छात्राओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है ।
10. **व्यायामशाला (जिम्नाजियम) :-** महाविद्यालय में छात्राओं को स्वास्थ्य-संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिये आधुनिक उपकरणों से युक्त व्यायामशाला है, जहाँ योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है ।
11. महाविद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है जिसमें इन्डोर एवं आउटडोर गेम्स के लिए उच्चस्तरीय व्यवस्था है । जहाँ छात्राएँ बास्केट बॉल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी, टेबुल टेनिस, शतरंज (चेस), कैरम प्रतिदिन खेल सकती हैं ।

विभागीय परिषद् एवं समितियाँ

1. **विभागीय परिषद :-** प्रत्येक विभागीय परिषद् विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें विषय संबंधी विचार गोष्ठियाँ तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
2. **कुलानुशासक समिति :-** छात्राओं की सुविधा के लिए कुलानुशासक समिति है जो छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सारी समस्याओं का निदान करती है ।
3. **क्रीड़ा समिति :-** प्रतिवर्ष वार्षिक अधिक्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें कॉलेज के ही छात्राएँ भाग लेती हैं तथा अपनी प्रतिभा को विकसित करती हैं ।
4. **पत्रिका समिति :-** महाविद्यालय की पत्रिका समिति प्रतिवर्ष 'दीप्ति' (पत्रिका) का प्रकाशन करती है, जिसमें शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्राओं की स्वरचित रचनायें प्रकाशित होती है ।
5. **सांस्कृतिक परिषद् :-** कॉलेज के सांस्कृतिक परिषद् के तत्वाधान में प्रति वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । गायन, वादन, नृत्य, अभिनय में अभिरुचि रखने वाली छात्राएँ इस परिषद् की सदस्य होकर इसके कार्यक्रमों में भाग ले सकती है ।
6. **एन०सी०सी० :-** छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा दल का सदस्य बनना अपेक्षित है ।
7. **एन०एस०एस० (राष्ट्रीय सेवा योजना) :-** महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाई है । इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को विभिन्न सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
8. **नामांकन समिति :-** नामांकन समिति महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी सभी कार्यों का संचालन करती है ।
9. **परीक्षा विभाग :-** महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी सभी बातों की जानकारी इस विभाग से भी जा सकती है ।
10. **कैम्पस रोजगार समिति :-** कॉलेज की छात्राओं को रोजगार दिलवाने में मदद करती है ।
11. **Placement-Cell :-** छात्राओं को रोजगार दिलवाने में मदद करने के लिए एक रोजगार प्रभाग Placement-Cell की व्यवस्था की गई । विभिन्न कम्पनियाँ हर वर्ष इस महाविद्यालय की छात्राओं का चयन कर उन्हें रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाती हैं ।